राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 142/।।।/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6.5.14	यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 11/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-11-13 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि. 30-11-13 का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 11/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-11-13 के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर का संहिता की धारा 165 के अंतर्गत आदेश मूल न्यायालय व्दारा पारित अंतिम आदेश है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में ऐसे आदेश के विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को एंव व्दित्तीय अपील राजस्व मण्डल में होगी। 4/ उक्त कारणों से आवेदक को आयुक्त/अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील का उपचार प्राप्त होने के कारण निगरानी अग्राह्य होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती हैं पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर) 13/5/14